

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.


सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का डा.रुखा बनाम के.डी.डी. 10 गुट्टु जाट

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 43/2022

निर्णय दिनांक :- 16/6/2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम
की आ.ख.न. 125 कुल रकबा 0-68 किस्म जमीन गोण्ड में से 0-02 है
रकबे पर श्री के.डी.डी. 10 गुट्टु जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
पटवारी कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक
6/5/22 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद
भू.अ.निरी. दर्राध के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी के.डी.डी. 10 गुट्टु जाट जाति जाट निवासी रोनोता को भू.
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी
..... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।
उक्त रकबवा आ.ख.न. 125 रकबा 0-68 में से 0-02 है
रकबे किस्म गोण्ड है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायत को अतिक्रमित
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 Paisa का
50 गुणा 19/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी डा.रुखा भू.अ.निरी.
दर्राध को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।


तहसीलदार तहसीलदार (अलवर)
कठूमर, अलवर (राज.)